पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल

महिला सशक्तीकरण हेतु उपलब्ध सुविधायें

- **चाइल्ड केयर लीव** :- 18 वर्ष तक दो प्रथम जीवित बच्चों के हेतु कुल 730 दिन देय। कम से कम 5 दिन एक बार में देय है, और पूरे वर्ष में 3 बार ले सकते हैं। (विकलांग बच्चा होने पर जीवनपर्यन्त देय है)
- **प्रसूति अवकाश** :- दो प्रथम जीवित बच्चों पर 180 दिन प्रति सवेतन अवकाश देय आगे एक वर्ष तक अन्य अवकाश के साथ बढ़ाया जा सकता है, गर्भपात के केस में 45 दिन सवेतन अवकाश देय है। (पूर्ण सेवा काल में एक बार)
- **शिशु गोद लेने पर अवकाश** :- एक वर्ष की आयु तक के बच्चे को गोद लेने पर (एक बच्चा जीवित होने पर) मातृत्व अवकाश 180 दिन सवेतन देय।
- **परिवार नियोजन आप्रेशन** :- महिला कर्मचारी के अस्पताल में भर्ती रहने तक या 21 दिन अधिकतम सवेतन अवकाश देय।
- **कर्मचारी की पुत्रियों के लिये छात्रवृत्ति/शिक्षण सहायता** :- रू. 1500/- प्रतिमाह देय।
- **चेंजरूम** :- महिला कर्मचारी बाहुल्य कार्यस्थल जैसे हास्पिटल, शेड डिपो आदि में चेंजरूम की अलग व्यवस्था।
- **वाशरूम** :- कार्य स्थल पर अलग से वाशरूम की व्यवस्था।
- **यौन उत्पीड़न शिकायत** :- यौन उत्पीड़न के सम्बन्ध में शिकायत हेतु समिति उपलब्ध,
- अध्यक्षा **डा0 अनामिका सिंह** मो0 सं0 9794842517, सचिव **श्री राहुल यादव** मंकाधि/लजं0 मो0 सं0 9794842601।

लखनऊ में कार्यरत महिलाओं हेतु उपलब्ध सुविधायें

- **लंच रूम** :- मण्डल कार्यालय एवं सी.डी.ओ. लखनऊ में कार्यरत महिला कमचारियों के लिये अलग से लंच रूम की व्यवस्था।
- **क्रेच** :- मण्डल कार्यालय में कमचारियों के बच्चों के लिये क्रेच की सुविधा। (महिला कल्याण संगठन द्वारा संचालित)
- **एकल महिला कर्मचारी छात्रावास** :- बादशाहनगर रेलवे कालोनी में एकल महिला कर्मचारी छात्रावास की सुविधा।

रेल कर्मी व परिवार के लिये कल्याणकारी योजनायें एवं आर्थिक सहायता

(अ) कर्मचारी की बीमारी पर सहायता / निर्वाह भत्ता

- कर्मचारी के बीमारी के कारण बिना वेतन अवकाश में रू. 10000/- प्रतिमाह।
- रेल कर्मचारी की मृत्यु पर दाह संस्कार हेतु रू. 10000/-।
- रेल कर्मचारी/परिवार के सदस्यों की रेलवे चिकित्सालय में मृत्यु पर शव ले जाने हेतु रू. 5000/-।
- कर्मचारी के गम्भीर बीमारी के कारण उत्पन्न कठिन परिस्थितियों में मण्डल हित समिति के द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान ।

(ब) छात्रवृति शिक्षण सहायता

- रू. 2400/- से कम ग्रेड पे के कर्मचारी के दो बच्चों तक उच्च तकनीकी शिक्षा के डिप्लोमा और डिग्री कोर्स हेतु 1500/- प्रतिमाह की दर से एक मुश्त भुगतान (कोर्स प्रारम्भ होने पर)
- रू. 2400/- प्रतिमाह से अधिक ग्रेड पे के कर्मचारी के दो बच्चों तक उच्च तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा हेतु 1500/- प्रतिमाह की दर से एक मुश्त भुगतान (प्रतिवर्ष कोर्स उत्तीर्ण होने पर)
- कर्मचारियों की पुत्रियों के लिये छात्रवृत्ति/शिक्षण सहायता :- रू.1500/- प्रतिमाह।

(स) रेलवे कर्मचारियों/परिवार को मिलने वाली अन्य सहायता

- **होम्योपैथिक औषधालय** :- बादशाहनगर, गोण्डा, मैलानी में।
- **आयुर्वेदिक औषधालय** :- बादशाहनगर में।
- **सब्सीडाइज्ड हास्टल** :- कर्मचारियों के पुत्रो हेतु लखनऊ सिटी स्टेशन पर।
- **विकलांग कर्मचारियों को**:- 4 दिन विशेष आकस्मिक अवकाश देय है (आकस्मिक अवकाश के अलावा)।
- **देशाटन हेतु अर्जित अवकाश का नकदीकरण** :- प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर पूरे सेवाकाल में अधिकतम 6 बार 10 दिन का नकदीकरण सुविधा पास/सुविधा टिकट एवं अवकाश लेना आवश्यक (रनिंग कर्मचारियों को अवकाश लेना अनिवार्य नहीं है)।
- **पितृत्व अवकाश** :- पुरूष कर्मचारी को दो जीवित बच्चों तक 15 दिन (बच्चे के जन्म होने के 6 माह की अवधि तक वैध)
- **मनोरंजन संस्थान/सामुदायिक केन्द्र** :- कर्मचारियों एवं उनके बच्चों के लिये खेल कूद, मनोरंजन एवं शादी विवाह हेतु मण्डल में बादशाहनगर, ऐशबाग, गोण्डा, मैलानी, सीतापुर में मनोरंजन संस्थान तथा गोण्डा में एक सामुदायिक केन्द्र उपलब्ध है।
- **ध्यान/योग/आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भागीदारी हेतु अवकाश** :- वर्ष मे 9 दिन अवकाश देय एवं आने जाने हेतु पास की सुविधा
- **कर्मचारी शिविर** :- पर्यटन स्थलो पर भ्रमण हेतु मामूली खर्चे पर कर्मचारियों को भ्रमण की सुविधा।
- **शिशु शिक्षण भत्ता** :- निर्धारित प्रोफार्मा पर स्कूल द्वारा प्रदत्त बोनाफाइड प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत करने पर तिमाही छमाही या सालाना अवधि के लिये व्यय के अनुसार राशि कम अथवा अधिक हो सकती है, अधिकतम रू. 27000/- देय है।
- **एकल परिवाद निस्तारण खिड़की मण्डल कार्यालय** :- उक्त केन्द्र पर कर्मचारी/पेंशनर/मृतक आश्रित कार्मिक शाखा से सम्बंधित परिवाद दर्ज करा सकते है (0522-2233802)

सौजन्य से :- कार्मिक विभाग, लखनऊ मण्डल

Scanned by CamScanner